

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग - 03

(संबंधित उपवन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

14. स्थल जहां की भूमि शामिल की गई है। क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

नहीं।

15. क्या संबंधित वन संरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

हाँ।

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ सिफारिशें।

अनुशासना की जाती है।

दिनांक : 15/11/18

स्थान : काँकेर

मुख्य वन संरक्षक
काँकेर जल्ला, काँकेर
हस्ताक्षर

नाम

सरकारी मोहर